

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (ड)(का.भा.)/डीएलबी/24/2226

दिनांक: 15/07/2024

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक प.2(च)/जांच/डीएलबी/2024/2630 दिनांक 04.07.2024 के द्वारा श्री चन्द्र प्रकाश मीणा सदस्य वार्ड नम्बर 34 एवं (उपाध्यक्ष) कार्यवाहक अध्यक्ष नगर पालिका अंता को निलिम्बत किया है। अध्यक्ष का पद सामान्य वर्ग के लिए है।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1) (i) (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रामेश्वर खण्डेलवाल पार्षद वार्ड सं. 18 को नगर पालिका अंता में अध्यक्ष पद का कार्यभार 60 दिवस से अनाधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिये दिया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सुरेश कुमार ओला)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
दिनांक: 15/07/2024

क्रमांक: प.8 (ड)(का.आ.)/डीएलबी/24/2227-39

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. सम्भागीय आयुक्त, कोटा/जिला क्लक्टर कोटा।
5. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6(क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय राज0 जयपुर।
7. उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, कोटा।
8. उपखण्ड अधिकारी, अन्ता।
9. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका अंता (कोटा)।
10. श्री रामेश्वर खण्डेलवाल पार्षद वार्ड सं. 18 नगर पालिका अन्ता।
11. प्रोग्रामर (आई.टी. सैल), निदेशालय।
12. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी